

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 68/2013/चुरु.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिराकपवंचन, वृत-झुन्झुनु.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स मेगापार एक्जिम प्रा०लि०,
के.जी.एन.रोड़, सुजानगढ़, चुरु.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 17.04.2018

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 290/आरवैट/चुरु/बीकानेर में पारित किये गये आदेश दिनांक 15.06.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से माल ब्रांच ट्रांसफर कर परिवहनित किया जा रहा था, जिसके लिए विधिक अनिवार्यता अनुसार घोषणा पत्र वैट47 संलग्न किया गया था परन्तु उसमें कुछ तकनीकी कमियों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 76(6) के तहत रुपये 1,67,983/- की शास्ति आरोपित की गई थी उसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक ठहराते हुये अपास्त किया गया है।
3. राजस्व की ओर से अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में केवल यह आधार लिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वा. क.अ. (2008)18 टीयूडी 321 निर्णय 03.08.2007 में यह निर्णित किया है कि अपूर्ण घोषणा पत्र पेश होने पर शास्ति स्वतः आरोपणीय होगी अतः आरोपित शास्ति विधिसम्मत थी जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने में विधिक त्रुटि की है।
4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया एवं अपील खारिज करने का निवेदन किया।
5. कर निर्धारण अधिकारी के आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार यह विवाद नहीं है कि अधिनियम की धारा 76(2) में विहित वांछित दस्तावेज उक्त प्रकरण में माल के परिवहन के दौरान जांच के समय प्रस्तुत कर दिये गये थे। प्रकरण में केवल यह आक्षेप लिया गया कि जारी घोषणा पत्र वैट-47 में जो मात्रा व मूल्य अंकित है वह उक्त




लगातार.....2

वाहन में भरे माल से अधिक है। इस आक्षेप के जवाब में व्यवहारी ने स्पष्टीकरण दिया था कि वाहन में बिल संख्या 49 का ही माल है एवं एक अन्य बिल संख्या 51 का माल रुपये 90,500/- को भी इसी घोषणा पत्र में सम्मिलित किया गया है, एवं माल अन्य वाहन आर.जे.जीए 833 से परिवहनित हो रहा था। इसके अलावा यह आक्षेप किया गया था कि घोषणा पत्र के तीन पार्ट्स ए.बी.सी में से एक पार्ट में एक स्थान पर हस्ताक्षर एवं सील नहीं है एवं पंचीग करने के स्थान पर पंचीग नहीं की है। उक्त दोनों बिन्दुओं के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत गुलजग इण्डस्ट्रीज के आलोक में घोषणा पत्र अपूर्ण मानकर इसे अवैध घोषित कर धारा 76(2) का उल्लंघन माना जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा विस्तृत विवेचना के साथ अनुचित एवं न्याय विरुद्ध मानते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है।

उक्त प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करने पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अपीलीय अधिकारी का निर्णय न्यायसम्मत है क्योंकि अधिनियम की धारा 76(2) में विहित समस्त दस्तावेज परिवहन के दौरान उपलब्ध थे, तथा वैट 47 में दो वाहनों में परिवहनित माल का इन्द्राज कर दिया गया था इसलिये माल की कीमत गलत घोषित नहीं थी एवं कर निर्धारण अधिकारी ने भी इस प्रकरण में उस बिल की कीमत पर ही शास्ति आरोपित की है जो बिल संलग्न था एवं वह बिल घोषणा पत्र वैट 47 में दर्ज था। अपीलीय अधिकारी ने अपील सुनवाई के समय घोषणा पत्र वैट 47 की जांच करने पर समस्त महत्वपूर्ण प्रविष्टियां भरी हुई पाई थी, जो रेकार्ड पर उपलब्ध है। घोषणा पत्र में केवल पंचीग नहीं करना मानवीय भूल मात्र है एवं वह भी प्रेषक का कार्य होने से व्यवहारी को दण्डित करना उचित नहीं है, क्योंकि माल से संबंधित सभी वांछित प्रविष्टियां घोषणा पत्र में पूर्ण रूप से भरी हुई थी। यह भी अहम तथ्य है कि प्रकरण में बिल, बिल्टी या घोषणा पत्र में कोई मिथ्या या अपूर्ण घोषणा नहीं थी ऐसी स्थिति में केवल अति सूक्ष्म तकनीकी त्रुटि के आधार पर घोषणा पत्र को अपूर्ण एवं अवैध मानकर शास्ति आरोपित किया जाना विधिसम्मत नहीं है अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश न्यायसम्मत होने से इसमें किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

5. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2012 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य